आल इंडिया केन्द्रीय विद्यालय टीचर्स ऐसोसिएशन की मांगें

850. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया केन्द्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी छह-सूत्री मांगों के सम्बन्ध में सरकार को ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ (ए० आई० के० वी० टी० ए०) के छह सूत्री मांग पत्र में शामिल नौ मदों के विस्तृत ब्यौरे तथा प्रत्येक मद के सम्बन्ध में सरकारी स्थिति संलग्न विवरण में दी है।

विवरण

क्रम सं०	मांग	तत्सम्बन्धी सरकारी स्थिति
1	2	3
1.	अखिभारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की मान्यता	मामले की नये सिरे से जांच की जा रही है
2.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा इस के अधिशासी बोर्ड में अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व	मांग की जांच की गई पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन अधिशासी बोर्ड में संघ के प्रतिनिधि को मनोनीत करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।
3.	सभी स्तरों पर संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की स्थापना।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन में जे०सी०एम० पद्धति पर स्टाफ परिषदें गठित करने के प्रस्ताव को सिद्धान्ततः मान लिया गया है। विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है।
4.	आन्तरिक तरक्की कोटे को 25 प्र०श० से 75 प्र०श० तक बढ़ाना	मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है क्योंकि वर्तमान तरक्की कोटा पर्याप्त समझा गया है।

1	2	3
	5. वेतनमानों में संशोधन	केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों के वेतनमान वही हैं जो दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघ शासित क्षेत्रों के समतुल्य पदों पर केन्द्रीय वेतनमान के तहत दिये जाते हैं । इसलिए केन्द्रीय विद्यालयों के वेतनमानों में कोई भी संशोधन दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघीय क्षेत्रों के वेतनमानों में संशोधन से जुड़ा हुआ है । ऐसी स्थिति में इस मामले में कोई भी निर्णय अलग से लेना सम्भव नहीं है ।
	6. स्कूल के समय में कमी करना	मामला अभी भी विचाराधीन है ।
	7. समयबद्ध चयन ग्रेड शुरू करना	केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों के चयन ग्रेड उसी आधार पर संस्वीकृत किये जाते हैं जो दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघ शासित क्षेत्रों के समतुल्य पदों पर काम करने वाले अध्यापकों के लिए केन्द्रीय वेतनमान के तहत विद्यमान हैं । इसलिये, केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के लिये चयन ग्रेड की योजना में कोई भी परिवर्तन दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघीय क्षेत्रों के लिये उपलब्ध चयन ग्रेड योजना में परिवर्तन से जुड़ा है । ऐसी स्थिति में कोई भी निर्णय अलग से लेना संभव नहीं है।
	8. औचित्यपूर्ण तबादला नीती की घोषणा	संगठन में औचित्यपूर्ण तबादला नीति पहले ही विद्यमान है । संघ को इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं से अवगत करा दिया गया है।
	9. चालू सत्र के दौरान तथाकथित सामूहिक तबादलों को वापिस लेना	तबादले के सभी आदेशों की पूर्णतः जांच करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । तथापि, संघ से ऐसे विशिष्ट उदाहरण यदि कोई हो, बताने का अनुरोध किया गया है जिनमें संगठन द्वारा पारित स्थानान्तरण आदेशों द्वारा कोई अन्याय अथवा अत्यन्त कठिनाई पैदा हुई हो, ऐसे मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है ।